



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 10, 2011/ज्येष्ठ 20, 1933

No. 1144]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 10, 2011/JYAISTHA 20, 1933

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2011

का.आ. 1355(अ).—केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा तत्कालीन विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) के दिनांक 8 मई, 1978 के का.आ. 1329 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 13 मई, 1978 को प्रकाशित अधिसूचना में आगे और संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 54 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टि को जोड़ा जाता है, नामतः :—

- “ 55. गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ।
56. आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ।
57. कर्नाटक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड ।
58. एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड ।”

[फा. सं. 3/3/2010-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल अधिसूचना 8 मई, 1978 के का.आ. संख्या 1329 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें पिछला संशोधन दिनांक 14 जनवरी, 2009 के का.आ. 143(अ) द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2011

S.O. 1355(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby further makes the amendment in the notification of the Government of India, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 13th May, 1978 in the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs, (Department of Company Affairs) *vide* number S.O. 1329 dated the 8th May, 1978, namely :—

In the said notification, after serial number 54, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

- “55. Gujarat Industrial Investment Corporation Limited.
56. Andhra Pradesh Industrial Development Corporation Limited.
57. Karnataka Urban Infrastructure Development and Finance Corporation Limited.
58. L&T Infrastructure Finance Company Limited.”

[F. No. 3/3/2010-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note :—The principal notification was published *vide* number S.O. 1329 dated the 8th May, 1978 and last amended by S.O. 143 (E) dated 14-1-2009.